वर्ष-9 अंक-5

मई 2019 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

लोक जागृति (NGO)

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना
- धार्मिक जागरुकता फैलाना

संतोष मिश्रा
अधिवक्ता
(ऑन पैनल–
पीएनबी, कैनरा एवं
इलाहाबाद बैंक)

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : lokjagriti@gmail.com

Suresh Pandey **9810514888**

INDIAN/FOREIGN BOOKS,JOURNALS

NEW/OLDLAW BOOKS

BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIES

SK

SK ACADEMY PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4 West Vinod Nagar, Delhi-110092

mail- suresh66pandey@gmail.com, pandeysureshk@gmail.com

लोक जागृति संस्था का संक्षिप्त परिचय

लोक जागृति (NGO) की स्थापना 20 अप्रैल 2010 को श्री संतोष कुमार मिश्र जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं के द्वारा की गई। संस्था की स्थापना श्री स्वामीनारायण की प्रेरणा से की गइ जो कि ''लोक जागृति'' के लिए सन्यास लिया था। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला के सहयोग रहा। वह संस्था के संस्थापक सहयोगी है। लोक जागृति जैसा कि नाम से विदित होता है लोगों को जागरुक करना। तो लोगों को जागरुक करने के लिए सबसे अच्छा साधन मीडिया होता है तो सोचा गया कि एक लोक जागृति पत्रिका का रजिस्ट्रेशन RNI में करा कर प्रकाशन काम शुरु किया गया। इस काम में संस्था के मुख्य सहयोगी श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। समय समय पर मार्गदर्शन करने एवं संस्था से श्री कपिल सिंघल, नीरज बंसल और कई लोगों को जोड़ा जिनका संस्था के सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। श्री कपिल सिंघल जी संस्था के हर आयोजन में सहयोग करते हैं वह संस्था के संरक्षक हैं। श्री नीरज बंसल जी जो कि लोक जागृति मासिक भंडारा का आयोजन पिछले दो वर्षों से करा रहे हैं। श्री बंसल की पत्नी का सहयोग भी संस्था को बराबर मिलता रहता है। इसके अलावा संस्था के विभिन्न पदों पर श्री सुरेश पांडेय, तरुण गुप्ता, एनके सक्सेना, बृजमोहन अपने अपने स्तर से संस्था में पूर्ण सहयोग करते हैं।

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10– सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11– लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13– हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14– भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15– समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16– देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17– सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18– कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19– गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

लोक जागृति संस्था के मजबूत स्तंभ

(दिल्ली फ्रेंड फाउण्डेशन) के अध्यक्ष, एवं ग्लोबल पीस फाउण्डेशन के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पांडेय लोक जागृति पत्रिका के संचालन के कार्य भलीभांति निभाते हैं। हमारी संस्था का प्रयास रहा है कि पिछले कई वर्षों से मजबूर एवं बेसहारा लोगों को हर संभव मदद करें। संस्था के सभी पदाधिकारी संस्था के हर कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमें खुशी है कि हमारी संस्था लोगों की मदद करती है।

पेशे से अधिवक्ता और नोएडा टैक्स बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण गुप्ता का कहना है कि संस्था से जुड़कर अच्छा लगता है। लोगों की सहायता संस्था के माध्यम से कर के एक आत्मीय सुकून मिलता है। समय समय पर हमलोग संस्था के बैनर तले सामा. जिक कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि लोगों को हर समय जागरुक किया जा सके।

अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद संस्था से जुड़े एनके सक्सेना संस्था को अपना दूसरा परिवार बताते हैं।

सक्सेना का कहना है कि लोक जागृति संस्था जो सामाजिक कार्य करती है उसमें संस्था के पदाधिकारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर सदस्य पूरी जिम्मेदारी से संस्था को आगे ले जाने में सहयोग करता है।

पीएसयू से रिटायर हुए **बृजमोहन** पूरी तरह से संस्था के कार्यालय का कार्यभार देखते हैं। उनका कहना है कि संस्था के सभी पदाधिकारी एक परिवार की तरह हैं। लोगों की मदद करने में तुरंत आगे आते हैं। पदाधिकारियों के हर दुख सुख और हर तीज त्योहार पर एकसाथ मिलकर एकत्र होते हैं। ऐसा किसी और संस्था में नहीं देखने को मिलता है।

पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट **ज्ञान चंद्र** मिश्र रीजनल काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। संस्था के हर आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है यह संस्था के लिए हर समय काम करने को तैयार रहते हैं।

पेशे से **राजन मल्होत्रा** बिल्डर हैं। राजन संस्था से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं संस्था के संरक्षक हैं हर कार्यक्रम में इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। समय पड़ने पर आर्थिक सहयोग भी करते हैं।

रंजीत यादव पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। रंजीत का संस्था में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रंजीत संस्था की नीति निर्धारण एवं सामाजिक कार्यक्रम की रुपरेखा बनाते हैं और सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं।

प्रवीण वर्मा संस्था के सारे आर्थिक लेन–देन का हिसाब रखते हैं। निःस्वार्थ भाव से हमेशा उचित सलाह एवं सहयोग करते हैं। संस्था के आयकर एवं अन्य विवरणी को जमा करने उससे संबंधित सभी कार्यों को करते हैं। संस्था में देश के कोने–कोने से बहुत सारे पत्रकार एवं समाजसेवी लोगों का हर संभव सहयोग मिलता रहता है।

लोक जागृति संस्था की उपलब्धियां

लोक जागृति वृद्धाश्रम में मजबूर वृद्ध लोगों की हर प्रकार की निःशुल्क सेवा की जाती है। संस्था वृद्धों के रहने खाने पीने एवं पहनने के लिए कपड़ों की व्यवस्था करती है।

लोक जागृति लाइब्रेरी : संस्था द्वारा गोण्डा के जमथा गांव जो कि परशुराम के गुरु जमदग्नि का आश्रम रहा है वहां पर जमदग्नि ट्रस्ट एवं लोकजागृति द्वारा लाइब्रेरी का संचालन किया जाता है।

लोक जागृति संस्था की legeazy International विंग द्वारा कमजोर व बेसहारा लोगों व सैनिकों को कानूनी मदद व परामर्श संस्था से जुड़े वकीलों द्वारा दिया जाता है।

लोक जागृति द्वारा जनहित याचिका 2013 में दायर किया जिसमें (FSSAI) के द्वारा रेड एलोवेरा को पूरे देश में रोक लगाई जोकि स्वास्थ्य के लिए हानिक. ारक था लेकिन भारत में प्रतिबंधित नहीं था, विश्व के कई देशों में इस पर प्रतिबंध था। दूसरा (FSSAI) द्वारा प्राइवेट फूड लेबोरेट्री को बंद करके सरकारी लेबोरेट्री को चालू कराने का आदेश दिलाया गया। इस (PIL) को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा लोक जागृति ने फाईल कराया। दूसरी पीआईएल श्री अभिषेक शर्मा (AOR) उच्चतम न्यायालय द्वारा कोल आवंटन पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना से संबंधित फाइल की गई।

हेल्थ कैंप के दौरान डॉक्टरों की टीम के साथ संस्था अध्यक्ष व अन्य।

लोक जागृति सोशल ऑडिट मिशन : मिशन के माध्यम से ''लोक जागृति ने ठाना है कि भ्रष्टाचार मिटाना है'' के नारे के साथ सार्वजनिक हित वाले स्थानों पर संस्था के बारे में पब्लिक से फीडबैक लिया जाता है और जो उस संगठन में अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और संगठन के उच्च अधिकारियों एवं सरकार को संगठन के बारे में सही जानकारी पहुंचाने का काम किया जाता है। हमारा कैम्प सरकारी अस्पताल एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय, बैंकों आदि जगहों पर समय–समय पर सोशल ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा लोक जागृति कैंप द्वारा कानूनी परामर्श कैंप भी लगाया जाता है।

लोक जागृति पत्रिका

मई 2019 वर्ष 9 अंक 5

संरक्षक
पं। दयानंद शुक्ला
कपिल सिंघल
ए.जी. अग्रवाल

संपादक
संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक
नीरज बंसल

समाचार संपादक
बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी
सुरेश पाण्डेय
आलोक सोलंकी
विजय बहादुर सिंह
तेज सिंह यादव (एडवोकेट)
नरेन्द्र कुमार सक्सेना
गिरीश त्रिपाठी
एस.बी.एस. गौतम
सत्येंद्र श्रीवास्तव
अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)
राहुल मिश्र
जगजीत सिंह
कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
राजेश कुमार मिश्र
तरुण गुप्ता (एडवोकेट)
अनिल कुमार शुक्ला
रजनीश कुमार पाण्डेय
धीरज पाण्डेय
प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग
संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार
अभिषेक शर्मा

साज सज्जा
A.N.R. Creation
7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक
संतोष कुमार मिश्रा
द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

चुनाव चल रहा है और इस मौसम में सभी मीडिया संस्थानों के अच्छे दिन आ जाते हैं ऐसे समय पर हम लोक जागृति संस्था का विशेषांक निकाल रहे हैं और आशा करते हैं कि पत्रिका में लोक जागृति द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में किए गए कुछ चित्र भी मिलेंगे, लेकिन संस्था का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन बिना राजनीतिक टिका टिप्पणी के लोगों को जागरुक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि राजनीतिक निर्णय लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करते हैं।

जैसे नोटबंदी के निर्णय से रातों रात जनता सड़क तक बैंकों की लाइन में खड़ी नजर आती है चाहे फायदे के कारण या नुकसान के कारण इसी तरह से बहुत सारे राजनीतिक निर्णय हैं जो लोगों को प्रभावित करते है। चुनाव में लोग जनता पर यह आरोप लगाते हैं कि जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद पर वोट पड़ते हैं। यह सही भी है लेकिन इसका क्या कारण है? इस पर विचार करने की जरुरत है। जनता को नेता चुनने का आधार चाहिए कि वोट किसे और क्यों दें। अब जो नेता चुनाव में खड़ा है उससे विकास करने की कोई गारंटी है नहीं और वोटर को वोट देने का जब कोई आधार नहीं होता है तो सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इसी को आधार मानकर मजबूरी में वह उसे वोट करता है।

चुनाव आयोग की निष्क्रियता ही टीएन शेषन की याद दिलाती है और यह भी याद दिलाती है कि किस तरह चुनाव आयुक्त को बहु सदस्य बना कर उनकी शक्तियों को कम किया गया था और अब खत्म कर दिया गया है।

चुनाव के समय सभी नेता जनता के हितैषी बने रहते हैं लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद जनता को कोई पूछने वाला नहीं होता है। प्रजातंत्र भी शासन की बहुत अच्छी प्रणाली नहीं मानी जाती है पर यह सिर्फ विश्व में शासन की जितनी पद्धति है उसमें कुछ अच्छी मात्र है।

''बहु उपदेश कुशल बहु तेरे'' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है एक सामान्य नागरिक के लिए अनेकों कानून है वहीं राजनीतिक पार्टियों एवं राजनेताओं पर सारे कानून प्रकृति न्याय पद्धति (natural Justice System) फेल नजर आता है। सब आपस में लड़ेंगे लेकिन जहां अपनी पारदर्शिता एवं हित की बात होगी सब एक हो जाएंगे। पुलिस सुधार की बात नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई में लाने की बात नहीं करेंगे, अपने विदेशी चंदे के लिए बात नहीं करेंगे, अपने चुनावी चंदे की बात नहीं करेंगे। सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत बातें हैं। एक दुकानदार एक–एक पैसे का हिसाब रखे और इन्हें दे, ये लाखों करोड़ों को हवा में उड़ा दे कोई हिसाब–किताब नहीं।

जब कभी आरटीआई की बात होती है तो लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग एवं ब्लैकमेलिंग ज्यादा हुई है। आखिर में जब कुछ किसी द्वारा गड़बड़ किया जाएगा तभी तो कोई ब्लैकमेल करेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार को जनता को बताया ही न जाए, आखिर में लोगों को किसी भी जानकारी से क्यों रोका जाए यदि वह सही है। हमारी सड़क बनने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ यह जानकारी हमें मिलनी चाहिए लेकिन ठेकेदार इंजीनियर को यह सूचना देने में बहुत कष्ट होता है और वह इसके दुरुपयोग की दुहाई देकर विरोध करता है। विश्व के जितने भी अपराधी हैं उनसे पूछोगे तो वह अपराध करने का कोई न कोई ऐसा बहाना बताएंगे जिससे कि वह स्वयं निर्दोष हो। दोष दूसरे का है उसी तरह हमारे यहां के नेता हैं और इसी कारण से देश में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। हर व्यवसाय एवं पेशे में लूट लेने की प्रवृत्ति एक पेशा बनती जा रही है। और वहीं व्यक्ति कुशल पेशेवर है जो अच्छी तरह लूटना जानता है। मेरी बात शतप्रतिशत तो नहीं लेकिन 90 प्रतिशत सही है।

दण्ड संहिता जब अंग्रेजों ने बनाई थी तो यह सोचा ही नहीं होगा कि झूठी शिकायत या आरोप कोई लगाएगा, लेकिन अब झूठी और मनगढ़ंत आरोपों की बाढ़ सी आ गई है, देश की जनता को छोड़ो न्यायाधीश तक को इसके घेर में ले लिया है।

यदि शांति चाहते हो तो लोकप्रिय होने से बचो।

लोक जागृति संस्था के खास मेहमान

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

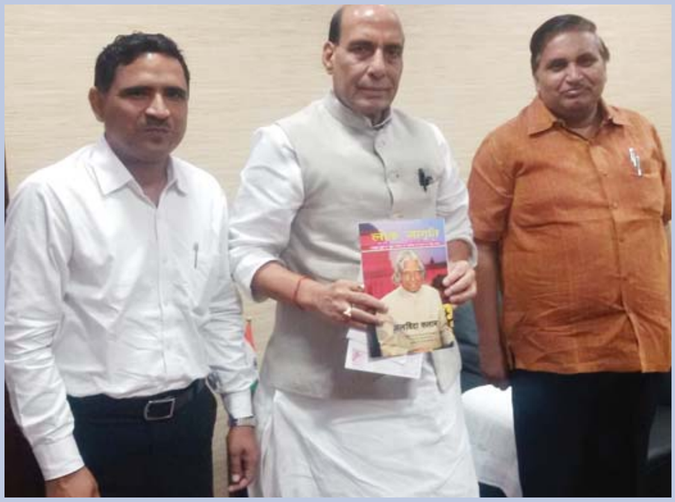

गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्रिका भेंट करते संस्था अध्यक्ष।

एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता शहनवाज के साथ संतोष मिश्रा।

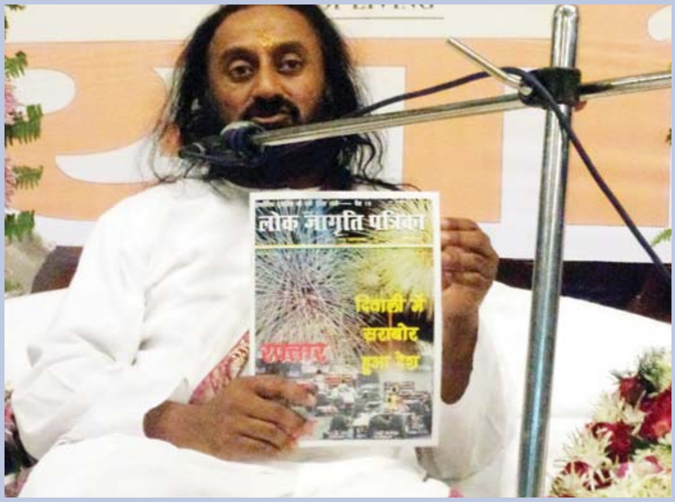

पत्रिका का विमोचन करते श्रीश्री रविशंकर।

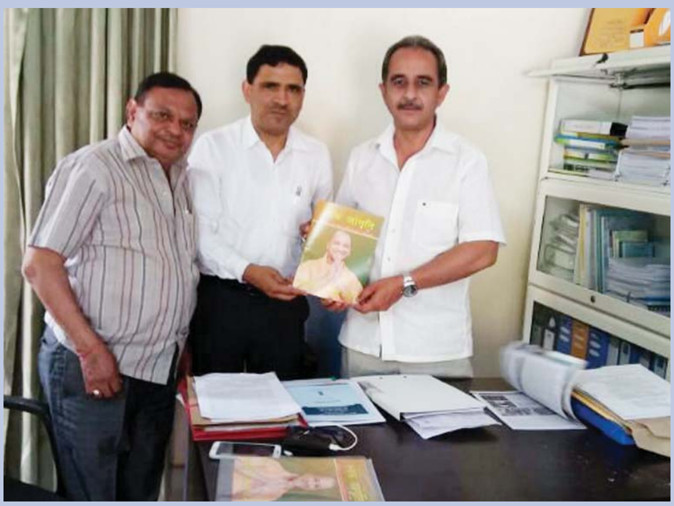

कीर्तिवर्द्धन सिंह को पत्रिका भेंट करते संतोष मिश्रा।

तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी।

लोक जागृति संस्था के खास मेहमान

सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बधाई देते संस्था अध्यक्ष के साथ अन्य लोग।

छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने पर पीएल पुनिया को बधाई देने के दौरान पत्रिका भेंट करते संस्था अध्यक्ष के साथ संरक्षक पं. दयानंद शुक्ला।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ लोकजागृति संस्था का प्रतिनिधिमंडल।

रीता बहुगुणा के साथ एक खास मुलाकात करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ वार्ता करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

कांग्रेस नेता निर्मल खत्री के साथ औपचारिक वार्ता करते लोक जागृति संस्था के पदाधिकारी।

लोक जागृति संस्था के खास मेहमान

विधायक अनुराधा मिश्रा के साथ संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा व पं. दयानंद शुक्ला अन्य।

सांसद प्रमोद तिवारी के साथ संस्था अध्यक्ष व संरक्षक पं. दयानंद शुक्ला।

राकेश मिश्रा क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद को लोक जागृति गौरव सम्मान देते संस्था के पदाधिकारी।

संस्था के पदाधिकारी एवं राज्यसभा सदस्यों के साथ एक मुलाकात।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट करता लोकजागृति संस्था का प्रतिनिधिमंडल।

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा को पत्रिका भेंट करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा व अश्विनी मिश्रा।

लोक जागृति संस्था की सामाजिक भागीदारी

1.2.3.4– वैशाली सेक्टर–1 व 4 में गरीब एवं जरुरतमंद बच्चों को लोक जागृति संस्था की ओर से कपड़े बांटे गए। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने जगह–जगह कैंप लगाया और जरुरतमंद लोगों, वृद्धों व महिलाओं को कपड़े एवं अन्य जरुरी सामान देते हुए।

5.6–लोकजागृति संस्था के स्थापना दिवस पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्कूल के शिक्षकों को पठन–पाठन सामग्री दी गई। इस दौरान एक कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम के लिए जरुरत के सामान देते संस्था से जुड़े लोग।

लोक जागृति संस्था का मासिक भंडारा

1.2.3.4.5.6–लोकजागृति संस्था हर माह भंडारे का आयोजन करती है। इस आयोजन के दौरान संस्था के सारे पदाधिकारी एकजुट होकर पूरी तनमयता के साथ भागीदारी करते हैं। श्री नीरज बंसल जी का विशेष योगदान रहता है।

लोक जागृति संस्था का सोशल ऑडिट मिशन

लोक जागृति

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

1.2.3.4– लोगों को जागरुक करने एवं आवश्यक कानूनी जानकारी देने के लिए लोक जागृति संस्था की ओर से एक निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर में संस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश गुप्ता, पीके सिंह व खुशबू वर्मा एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा जरुरतमंद लोगों को कानूनी परामर्श निःशुल्क दिया गया। इसके अलावा लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

लोक जागृति संस्था की जागरुकता कार्यक्रम

महामहिम श्री रामनाथ कोविंद के साथ संस्था के संरक्षक पं. दयानंद शुक्ला।

1.2.3– लोक जागृति संस्था की ओर से महिला जागरुकता शिविर हर वर्ष लगाया जाता है। शिविर के दौरान गरीब व मजदूर महिलाओं को संस्था से जुड़ी महिला समाजसेवियों द्वारा उनके अधिकार के प्रति जागरुक किया जाता है।

1.2– लोक जागृति संस्था की ओर से हरित दिवस पर वैशाली में पौधा लगाया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों में पूर्ण सहयोग किया।

लोक जागृति संस्था की सामाजिक कार्यक्रम

लोक जागृति संस्था की ओर से कांवड़ियों की सहायता की गई। इस दौरान संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा के साथ संरक्षक कपिल सिंघल व अन्य पदाधिकारी।

लोक जागृति संस्था की ओर से संस्कृत विद्यालय में बच्चों को पुस्तक का वितरण किया गया।

लोक जागृति संस्था की ओर से वैशाली में आयोजित समर कैंप के दौरान बच्चों के साथ उनके अभिभावक व संस्था के पदाधिकारी।

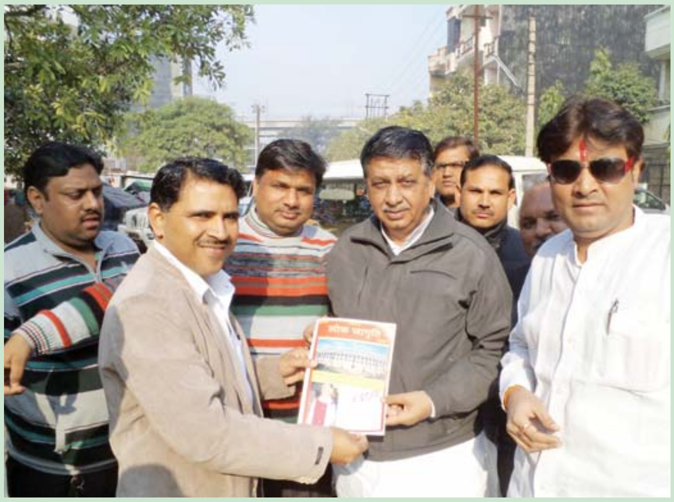

लोक जागृति संस्था की पत्रिका के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क पत्रिका बांटते संस्था अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी।

5.6–लोक जागृति संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर लोगों में खिचड़ी का भंडारा आयोजित किया जाता है। इस दौरान स्थानीय लोग व संस्था के पदाधिकारी जोर–शोर से भाग लेते हैं।

लोक जागृति संस्था ने जगाई सामाजिक अलख

1,2–मातृभाषा के प्रतिजागरुकता के लिए राज्यस्तरीय एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिन्दी भाषा के विद्वान उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

लोक जागृति संस्था की ओर से प्रशासन के खिलाफ मार्च निकालते स्थानीय लोगों के साथ संस्था के पदाधिकारी।

पीड़ित लोगों की आवाज बन कर उनके साथ खड़े होकर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते स्थानीय लोग एवं संस्था सदस्य।

देश के प्रति लोगों में देशभक्ति की अलख जगाने के लिए लोक जागृति संस्था की ओर से निकाले गए पैदल मार्च के दौरान स्थानीय लोग एवं संस्था के अध्यक्ष संतोष मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारीगण।

लोक जागृति संस्था का विस्तार

एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मनोज तिवारी के साथ संस्था के अध्यक्ष।

वृद्धा आश्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान संस्था सदस्य श्री उपकार सिंह के साथ संस्था अध्यक्ष।

लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के साथ संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

लोक जागृति संस्था के वैशाली कार्यालय के उद्घाटन के दौरान संस्था के पदाधिकारीगण।

लोक जागृति संस्था द्वारा वैशाली में जनजागरुकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में लोगों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

लोक जागृति संस्था के धार्मिक कार्यक्रम

लोक जागृति संस्था की ओर से गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम।

2.3–संस्कृत महाकाल उज्जैन के शिक्षक के साथ बैठे संस्था अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण। इस दौरान वहां के विद्यार्थियों को पठन–पाठन सामग्री का वितरण भी किया गया।

लोक जागृति संस्था की ओर से वैशाली में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया।

लोक जागृति संस्था धार्मिक कार्यों में भी बढ़–चढ़ कर भाग लेती है। सरस्वती पूजा के दौरान संस्था अध्यक्ष व सदस्य।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन मुख्य अतिथि को सम्मानित करते संस्था के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी।

लोक जागृति संस्था की सामाजिक कार्यक्रम

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन 2015

लोक जागृति संस्था की ओर से हर वर्ष की भांति इस इस वर्ष भी महाकवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की कुरीतियों व सरकार पर तंज कसे। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने कविगण को सम्मानित भी किया।

कवि को सम्मानित करते रंजीत यादव जी।

लोक जागृति संस्था का कवि सम्मेलन

कवि राजेश्वर राय को सम्मानित करते संस्था के पदाधिकारी

संस्था अध्यक्ष व संरक्षक कपिल सिंघल के साथ राजन मल्होत्रा।

संस्था की संस्थापक सदस्य एवं कोषाध्यक्ष नीलम मिश्रा, रिंकू मिश्रा कवियित्रि का सम्मान करते हुए।

कवि सम्मेलन में उमड़ी लोगों की भीड़।

गगन स्वर पत्रिका के संपादक को सम्मानित करते संस्था अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा।

लोक जागृति गौरव सम्मान

कवि अवधेष सिंह

कवि अनित नारायण मिश्रा

कवियित्रि को लोकजागृति सम्मान देतीं दिल्ली नगर निगम (प्रीतविहार) की पार्षद बबिता खन्ना एवं संस्था संरक्षक कपिल सिंघल।

कवि अवधेष मिश्रा

कवि को सम्मानित करते संस्था से जुड़े एडवोकेट विष्णु त्रिपाठी।

लोक जागृति संस्था का कवि सम्मेलन

संस्था संरक्षक नीरज बंसल को सम्मानित करते संस्था के पदाधिकारी अश्विनी मिश्रा।

पुलिस उपनिरीक्षक अंजनि सिंह को सम्मानित करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

दिल्ली नगर निगम (प्रीतविहार) की पार्षद श्रीमति बबिता खन्ना को सम्मानित करते संस्था अध्यक्ष संतोष मिश्रा।

कवि को सम्मानित करते संस्था के श्री ज्ञान चंद मिश्र, कपिल सिंघल एवं सुनील तिवारी।

पश्चिम यूपी के वे इलाके जहां हिंदू–मुस्लिम का एक–दूसरे के बिन गुज़ारा नहीं

मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले को एक सड़क चीरती हुई निकलती है और इसे दो भागों में बाट देती है। इसके एक तरफ़ हाजी बाबुद्दीन जैसे मुस्लिम आबाद हैं और दूसरी तरफ विपिन कुमार रस्तोगी जैसे हिन्दुओं की दुकानें हैं।

बाबुद्दीन और रस्तोगी एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं लेकिन इनकी दुनिया बिलकुल अलग है।

बाबुद्दीन भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी हैं और रस्तोगी इस पार्टी के कड़े समर्थक। हमेशा की तरह इस बार भी तय है कि 11 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण में बाबुद्दीन महागठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को अपना वोट देंगे और रस्तोगी दो बार सांसद रह चुके बीजेपी के उमीदवार राजेंद्र अग्रवाल को। इनके बीच कुछ समान नहीं है। लेकिन, पिछले 30 सालों से एक सच ने इन्हें एक–दूसरे से कस कर बाँध रखा है और वो है कारोबार में एक–दूसरे पर निर्भरता। वहां रहने वाले लोगों के अनुसार ये कारोबार सालाना 300 करोड़ रुपये का है। बाबुद्दीन 120 पॉवरलूम मशीनों के मालिक हैं और मेरठ के दो सबसे अमीर बुनकरों में से एक हैं। दो मंज़िला घर के ऊपर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं जहाँ अभी उन्होंने एक आधुनिक रसोई घर बनवाई है, जिसे वो गर्व के साथ लोगों को दिखाते हैं। मकान के नीचे कपड़ा बनाने वाली मशीनें लगी हैं जिनसे हर वक़्त तेज़ आवाज़ें निकलती रहती हैं। उनके कारख़ाने में कपड़े बनते हैं जिसे रस्तोगी थोक में ख़रीदते हैं। वो बाबुद्दीन के अकेले ग्राहक नहीं हैं लेकिन उनके सभी हिन्दू थोक ग्राहकों में सबसे ज़्यादा माल ख़रीदने वाले ज़रूर हैं।

बाबुद्दीन कहते हैं, "हिन्दू थोक दुकानदारों के बग़ैर मेरा काम नहीं चलता और हम बुनकरों के बग़ैर उनका नहीं। हम एक–दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं।" रस्तोगी के मुताबिक़, "धंधे में विचारधारा, धर्म और जाती काम नहीं आतीं। बाबुद्दीन को मैं 30 सालों से जानता हूँ। वो एक परिवार की तरह हैं। हमारे विचार अलग हैं। हम वोट अलग–अलग पार्टियों को देते हैं। मज़ाक़ में एक–दूसरे की खिंचाई ज़रूर करते हैं मगर हम धंधे में भावना को जगह नहीं देते।" आर्थिक मजबूरी उन्हें एक–दूसरे से बांध कर रखती है। थोड़े समय के लिए रस्तोगी ने एक अलग व्यापार शुरू किया था जो नहीं चला। जब वो वापस लौटे तो उनका अनुभव बहुत अच्छा था। वो भावुक होकर कहते हैं, "मुस्लिम बुनकरों ने मेरा ऐसा स्वागत किया कि मुझे लगा कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ।" कपड़ों के अलावा कई दूसरे व्यवसायों में भी हिन्दू–मुस्लिम समाज की एक–दूसरे पर निर्भरता दिखाई देती है जो सराहनीय है क्यूंकि सां. प्रदायिक दंगों के इतिहास वाला मेरठ शहर हिन्दू–मुस्लिम के बीच नाजुक रिश्ते के लिए जाना जाता है।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं। लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारणा से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाएं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010

lokjagriti@gmail.com, 9560522777

लोकसभा चुनाव 2019 : राहुल गांधी के लिए क्या सुरक्षित सीट है वायनाड?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे।

पिछले कई दिनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस नेता एके एंटनी ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे।

दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा कि केरल की वायनाड सीट का चयन का फ़ैसला दक्षिण भारत के चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कांग्रेस को मज़बूत करने के लिए लिया गया है।

उन्होंने बताया कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से बार–बार राहुल गांधी के दक्षिण की सीट से चुनाव लड़ने को लेकर मांग आ रही थी।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वायनाड का चयन उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप की वजह से किया गया है।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "आज एक सुखद दिन है। राहुल जी ने अने. कों बार कहा है कि अमेठी उनकी कर्मभूमि है। अमेठी से उनका रिश्ता परिवार के सदस्य का है। इसलिए अमेठी को छोड़ नहीं सकते।"

इस दौरान सुरजेवाला ने अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा, "इस बार वह हार की हैट्रिक लगाएंगी। पहले नई दिल्ली से हारीं, दूसरी बार अमेठी से और अब तीसरी बार भी अमेठी से चुनाव हारेंगी स्मृति ईरानी।"

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को दक्षिण भारत में ही चुनाव सभाएँ कर रहे हैं। वे आंध्रप्रदेश में विजयवाड़ा और अनंतपुर के साथ ही बेंगलुरू में जनसभा को संबोधित करेंगे।

2008 में बना वायनाड संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस की सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। वायनाड लोकसभा के तहत सात विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से तीन वायनाड ज़िले के, तीन मल्लापुरम ज़िले के और एक कोझीकोड ज़िले से हैं।

2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस के एमआई शानवास जीते थे। लेकिन 2018 में उनके निधन के बाद से यह सीट खाली है।दोनों ही बार वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (सीपीआई) दूसरे नंबर पर रही थी। हालाँकि 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का अंतर जहां 153,439 लाख वोटों का था, वहीं 2014 में वो महज 20,870 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर सके थे।

(एजेंसी)

स्लोवाकिया के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति

एंटी–करप्शन कैंडिडेट ज़ुज़ाना कैप्यूटोवा ने स्लोवाकिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के साथ ही ज़ुज़ाना कैप्यूटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं।

ज़ुज़ाना कैप्यूटोवा के पास राजनी. ति को लेकर लगभग किसी भी तरह का अनुभव नहीं है। वहीं उनके सीधे प्रतिद्वंद्वी उच्च स्तरीय राजनयिक मारक. ोस सेफ़्कोविक थे। मारकोस मौजूदा सत्तारुढ़ पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे। ज़ुज़ाना कैप्यूटोवा ने इन चुनावों को अच्छाई और बुराई के बीच का एक संघर्ष बताया था। इन चुनावों के दौरान एक खोजी पत्रकार की मौत भी हो गई थी।

जैन कुसिऐक लगातार नियोजित तरीक़े से हो रहे अपराधों और राजनीति के बीच गठजोड़ की पड़ताल कर रहे थे। इसी पड़ताल के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। फरवरी 2018 में यह हादसा उस वक़्त हुआ जब वो अपनी मंगेतर के साथ थे।

ज़ुज़ाना कैप्यूटोवा ने अपने एक संबोधन में कहा था कि यूं तो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के बहुत से कारण हैं लेकिन एक बहुत बड़ा कारण पत्रकार जैन कुसिऐक की मौत भी है।

सारे वोटों की गिनती हो गई तो जो परिणाम सामने आए उसमें ज़ुज़ाना कैप्यूटोवा को 58 फ़ीसदी वोट मिले थे जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 42 प्रतिशत।

वकालत से राष्ट्रपति बनने तक सफ़र उनकी पहली पहचान एक वक़ील की है। यह पहचान उन्हें एक अवैध कूड़ाघर के क़ब्ज़े को लेकर 14 साल तक लड़े गए केस के लिए मिली थी।

45 साल साल की नवनियुक्त राष्ट्रपति दो बच्चों की मां हैं। वो प्रोग्रे. सिव स्लोवाकिया पार्टी की सदस्य हैं। जिसकी पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं है। एक ऐसे देश में जहां सेम–सेक्स मैरिज और अडॉप्शन अभी तक क़ानूनी नहीं है।

(एजेंसी)

मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी करने के बाद खुद इस मामले की आगे की जाँच का आदेश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

राकेश शर्मा

संज्ञान लेने से पूर्व मजिस्ट्रेट के पास मामले में आगे की जाँच का आदेश देने का अधिकार है पर संज्ञान ले लिए जाने के बाद वह ऐसा नहीं कर सकता विशेषकर तब जब आरोपी को उसने बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं है कि वह आरोपी को बरी करने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए आगे की जाँच का आदेश दे। बिकश रंजन राउत और अन्य पर आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत मुक़दमा चलाया गया। जाँच के बाद जाँच अधिकारी ने चार्ज शीट दायर किया पर इस पर ग़ौर करने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को बरी कर दिया। पर उसी आदेश में उसने यह कहा कि इस मामले की आगे जाँच की ज़रूरत है ताकि इसके बारे में किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके। हाईकोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के इस क़दम को सही ठहराया। आरोपी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष अदालत को यह निर्णय करना था कि आरोपी को बरी करने के बाद मजिस्ट्रे इस मामले की आगे जाँच का आदेश दे सकता है कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि जाँच रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रे को अगर लगता है तो वह इसको ख़ारिज कर सकता है और दुबारा जाँच का आदेश दे सकता है पर एक बार जब वह इस पर कार्रवाई करते हुए आरा. `पी को बरी कर देता है तो फिर इसके बाद वह ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस को आगे की जाँच करने के आदेश को ख़ारिज करते हुए पीठ ने कहा, "इस मामले में जाँच अधिकारी ने आगे जाँच की बात नहीं कही है यह आदेश मजिस्ट्रेट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया है और जाँच अधिकारी को यह रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस बात की इजाज़त क़ानून के तहत नहीं है। इस तरह का आदेश देना मजिस्ट्रेट के अधिक. ार के बाहर है। वह आरोपी को बरी करने के बाद मामले की आगे जाँच का आदेश नहीं दे सकता और इसलिए मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया वह वैध नहीं है और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।"

कितनी सिगरेट के बराबर एक बोतल शराब

एक शोध में यह बात सामने आई है कि एक सप्ताह में 750 मिलीलीटर शराब पीने से कैंसर का ख़तरा उतना ही बढ़ता है जितना एक सप्ताह में महिलाओं के दस सिगरेट और पुरुषों के पांच सिगरेट पीने से।

ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने कहा कि यह कम पीने वाले लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का अच्छा तरीक़ा है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश शराब पीने वालों के लिए शराब की तुलना में सिगरेट पीना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है और इससे उन्हें कैंसर के ख़तरे ज़्यादा होते हैं।

और इन जोखिमों को कम करने का एकमात्र तरीका सिगरेट को पूरी तरह से छोड़ना है।

सरकारी दिशा निर्देश एक महिला और पुरुष को एक सप्ताह में 14 यूनिट से अधिक शराब नहीं पीने की सलाह देता है। यह बीयर की 6 पाइन्ट बोतल और 6 ग्लास वाइन के बराबर है।

शोध में यह भी कहा गया है कि जब आपकी सेहत ख़तरे में हो तो पीने की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं होती। इस शोध के अनुसार कम पीने वाले भी कैंसर के ख़तरे से बाहर नहीं होते।

बीएमसी पब्लिक हेल्थ के लेख में शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि सिगरेट नहीं पीने वाले एक हज़ार पुरुष और एक हज़ार महिलाएं सप्ताह में एक बोतल शराब पीते हैं तो लगभग 10 अधिक पुरुषों और 14 अधिक महिलाओं को उनके जीवनकाल में कैंसर के ख़तरे बढ़ते हैं।

शराब पीने से महिलाओं में ब्रेस्ट और पुरुषों में पेट और लिवर के कैंसर के ख़तरे बढ़ते हैं।

शोधकर्ताओं की टीम ने कैंसर रिसर्च यूके के कैंसर के ख़तरों पर आधारित डेटा का इस्तेमाल किया है।

इसके साथ ही टीम ने तंबाकू और शराब से होने वाले कैंसर मरीज़ों के डेटा का अध्ययन किया। ब्रेस्ट कैंसर पर शोध करने वाले डॉ। मिनौक शोमेकर ने कहा कि अध्ययन "दिलचस्प बातों" को सामने लाता है लेकिन तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है। द इंस्टिट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के वैज्ञानिक डॉ। शोमेकर ने कहा, "कैंसर के ख़तरों की तस्वीर बहुत जटिल और बारीक है, इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नया अध्ययन कई मान्यताओं के आधार पर है।" "उदाहरण के लिए शराब और सिगरेट पीने के प्रभावों को पूरी तरह से रोकना मुश्किल है।

अध्ययन में सिर्फ़ कैंसर पर बात की गई है, दूसरे बीमारियों पर नहीं। सिगरेट पीने वालों में दिल और फेफड़ों के रोग ज़्यादा होते हैं।

अध्ययन में 2004 के डेटा का इस्तेमाल किया गया है और कैंसर के अन्य कारणों को इसमें शामिल नहीं किया है।

उम्र, परिवार के जीन, खान–पान और जीवन शैली भी कैंसर की वजहें हो सकती हैं।

सिगरेट पीना ज़्यादा ख़तरनाक है

नॉटिंगम यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर जॉन ब्रिटन कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि लोग ख़तरों की तुलना कर सिगरेट और शराब का चयन करते हैं।"

प्रोफ़ेसर ब्रिटन यूके सेंटर फॉर टोबैको एंड अल्कोहल स्टडीज के निद. `शक हैं।

वो कहते हैं, "यह अध्ययन बताता है कि शराब के मुक़ाबले सिगरेट पीना कैंसर के लिए अधिक ख़तरनाक है। अन्य बीमारियों की बात करें तो सिगरेट शराब से कहीं अधिक ख़तरनाक है।"

"अगर सिगरेट पीने वाले अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा यह होगा कि उन्हें स्मोकिंग छोड़ दें।"

प्रोफ़ेसर ब्रिटन कहते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उन्हें सलाह के मुता. बिक़ 14 यूनिट के अधिक नहीं पीना चाहिए। (एजेंसी)

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में कब कब हुई शिकायत?

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए देश भर में सात चरणों में मतदान जारी हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने आदर्श आचार–संहिता को भी लागू कर दिया था।

लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों समेत सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में कई बार इसके उल्लंघन की शिकायतें कीं गईं।

हालांकि एक अप्रैल, 2019 को वर्धा, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया है। मोदी के इस भाषण के खिलाफ 5 अप्रैल को शिकायत दर्ज की गई थी।

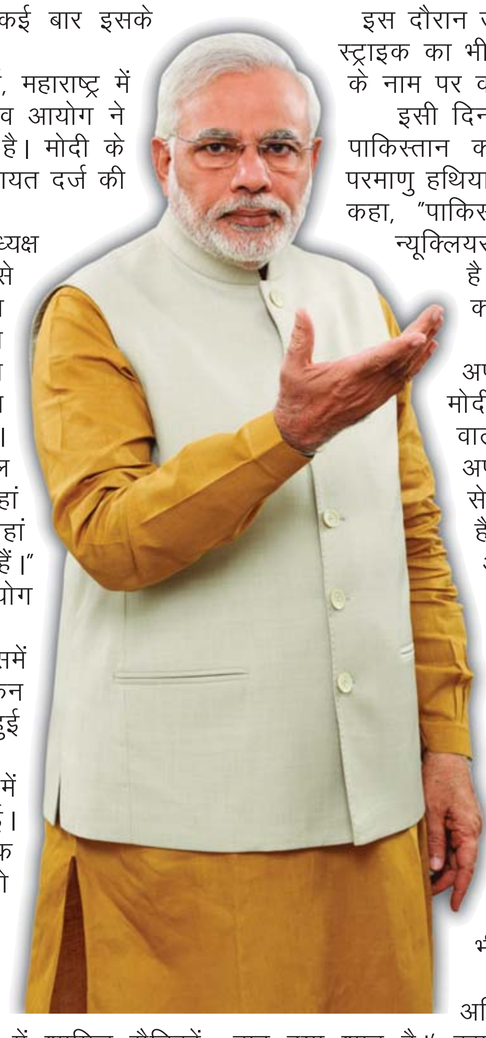

मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल का वायनाड से चुनाव लड़ने के फ़ैसले को निशाना बनाते हुए कहा था कि "अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सज़ा देने का मन बना लिया है। उनके नेता अब मैदान छोड़ कर भागने लगे हैं। 'आतंकवादी हिंदू' की सज़ा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग कर के जहां देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में है, वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं।" हालांकि उनके इस बयान में चुनाव आयोग ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया है।

हालांकि ये तो एक मामला है जिसमें मोदी को क्लीन चिट मिल गई है लेकिन उनके खिलाफ दूसरी शिकायतें भी हुई हैं।

6 अप्रैल को महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिये उनके भाषण को लेकर की गई। यहां भी उन्होंने वायनाड सीट का ज़िक्र करते हुए उन्हीं शब्दों को दोहराया जो उन्होंने वर्धा में कहे थे।

बालाकोट, पुलवामा का ज़िक्र

इसके बाद 9 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल सैनिकों और पुलवामा में मारे गए जवानों के नाम पर वोट देने की अपील की। लातूर में नरेंद्र मोदी ने कहा, "मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन का पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों को समर्पित हो सकता है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उन वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है क्या।"

फिर 21 अप्रैल को गुजरात के पाटन में मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा, "ख़बरदार पाकिस्तान, हमारे पायलट को एक खरोंच नहीं पड़ना चाहिए। अमरीका के प्रवक्ता ने तब कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। मोदी एक साथ 12 मिसाइलों से हमले कर देगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने वापस कर दिया वरना यह कत्ल की रात होती।"

इस दौरान उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी ज़िक्र किया। एक बार फिर सेना के नाम पर वोट मांगने की शिकायत की गई।

इसी दिन राजस्थान के बाड़मेर में मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दिया कि भारत के परमाणु हथियार दिवाली के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान कहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बटन है।।। तो हमारे पास क्या है।।। ये दिवाली के लिए रखा है क्या?"

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में लिखा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 'घृणा फ़ैलाने वाले द्वेषपूर्ण भाषण' दे रहे हैं और अपने 'राजनीतिक उद्देश्यों' के लिए सेना के शौर्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ऐसा करने को लेकर आचार संहिता में मनाही है।

चुनाव आयोग इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायत की सुनवाई भी कर रहा है। अमित शाह के खिलाफ 'मोदी की सेना' बोलने की शिकायत की गई है।

साथ ही आयोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के जबलपुर में उनके भाषण के दौरान अमित शाह को हत्यारा कहे जाने के शिकायत पर भी सुनवाई कर रहा है।

राहुल ने कहा था, 'हत्या के अभियुक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वाह क्या शान है।' इस पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी।

अमित शाह ने खुद इस पर सफ़ाई देते हुए कहा था कि "कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।" चुनाव आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें हैं जिसमें नेता एक दूसरे पर छींटाकशी में न केवल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि शर्मनाक बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक शिकायत गौतमबुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री महेश शर्मा पर प्रियंका गांधी के खिलाफ निंदनीय बयान देने का मामला भी शामिल हैं।(एजेंसी)

निचली अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

"सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेने के दौरान, अभियुक्त के अधिकारों के बीच एक बनाया जाना चाहिए"। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे के संदर्भ में किन बाता.ें का ध्यान रखा जाना चाहिए इस बारे में एक दिशानिर्देश जारी किया। केरल उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत गवाह से पूछताछ को स्थगित करने के किसी आवेदन पर गौर करने के दौरान आरा.ेपी के अधिकार और अभियोजन पक्ष के विशेषाधिकार के बीच संत.ुलन बनाया जाना चाहिए। केरल राज्य बनाम राशिद मामले में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आवेदन पर गौर करते हुए यह बात कही।

हाईकोर्ट ने गवाहों से पूछताछ को स्थगित करने की अपील को अस्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी विशेष गवाह की जांच होने तक कुछ गवाहों से पूछताछ स्थगित कर दी जाए। राज्य की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पाया कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलटने का कोई कारण नहीं दिया। खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत आवेदन करने के दौरान निम्नलिखित कारकों पर गौर किया जाना चाहिए : गवाह/गवाहों पर अनुचित प्रभाव की आशंका; गवाह/गवाहों को धमकी देने की आशंका; यह आशंका कि अगर स्थगन नहीं दिया गया तो गवाह एक ही तरह के तथ्यों के आधार पर ऐसी रटी–रटाई बातें कह सकता है जो अभियोजन की बचाव रणनीति को बिगाड़ेगा; उस गवाह/ गवाहों की स्मृति हानि की आशंका जिससे पूछताछ हो चुकी है; तथा सीआरपीसी की धारा 309 (1) के संदर्भ में, अगर मुल्तवी की अनुमति दी गई तो मुकदमे में देरी हो सकती है और गवाह अनुपलब्ध हो सकते हैं। कुछ उच्च न्यायालय के फैसलों का जिक्र करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 231 (2) के तहत न्यायिक विवे.कानुसार आधार के लिए कोई गैर लचीला फॉर्मूला नहीं हो सकता है। "विवेक का प्रयोग –मामले के आधार पर होना चाहिए। यह पता लगाना जरूरी है कि अगर आवे.दन को खारिज कर दिया जाता है तो क्या स्थगन चाहने वाले के खिलाफ कहीं पक्षपात की धारणा तो नहीं बनेगी। दिशानिर्देश अभियोग निर्धारण के बाद मामलों का विस्तृत कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए; केस–कैलेंडर में उन तिथियों को स्पश उल्लेख होना चाहिए कि मुख्य गवाह और अन्य गवाहों से पूछताछ और पार परीक्षा (यदि आवश्यक हो) में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए; एक ही विषय–वस्तु पर विभिन्न गवाहों से पूछताछ आसपास की अवधि के दौरान निर्धारित हो; सीआरपीसी की धारा231 (2) के तहत स्थगित करने का अनुरोध केस कैलेंडर की तैयारी से पहले किया जाना चाहिए; स्थगित के अनुरोध का पर्याप्त आधार होना चाहिए; अगर गवाहों से पूछताछ को स्थगित किया गया है तो निचली अदालत को उस संभावित तारीख का उल्लेख करना चाहिए जब उससे दुबारा पूछताछ की जा सकती है; उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार केस कैलेंडर का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा नहीं करना बिल्कुल आवश्यक न हो; तथा जिन मामलों में निचली अदालतों ने गवाहों से पूछताछ को स्थगित करने के अनुरोध को मान लिया है, गवाहों को अनुचित रूप से प्रभावित करने, उत्पीड़न या धमकाये जाने की की किसी आशंका से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने जाने चाहिए।

सुरेश पांडेय

किराएदार के लाभ के लिए लगाए गए है प्रतिबंध

किराएदार से भवन खाली करवाकर वापिस लेने के लिए लगाए गए प्रतिबंध, किराएदार के लाभ के लिए लगाए गए है,जो वैधानिक नीति संबंधी मामले है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराया नियंत्रण कानून के तहत एक वैधानिक किराएदार को दिए गए संरक्षण को सिर्फ कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अभिभूत या काबू किया जा सकता है शिवदेव कौर ने एक भवन चंद्र प्रकाश सोनी को किराए पर दिया था। शिवदेव कौर को मिली रियासत के तहत उसे यह अधिकार था किवह इस भवन या संपत्ति को किराए पर दे सके और उसका किराया वसूल सके। कौर की मौत होने के बाद उसके वारिस इस संपत्ति के मालिक बन गए। इन सभी ने किराएदार के खिलाफ केस दायर इस संपत्ति पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की। इनका कहना था कि कौर की मौत के बाद किराएदायर अनाधिकार तौर पर घुसने वाला बन गया है। निचली अदालत ने इस केस या सूट अपना निर्णय दे दिया। दूसरी अपील में हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई चंद्राचूड़ व जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि सोनी के पक्ष में किराएदारी बनाई गई थी,जिसने अब वैधानिक किराएदार(पूर्वी पंजाब अर्बन किराया प्रतिबंध अधिनियम 1949 की धारा 2(आई) के तहत दिए गए किराएदार शब्द की परिभाषा के तहत) का स्थान हासिल कर लिया है। इस स्थान पर अब कौर की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में याचिकाकर्ता पहले प्रतिवादी को संपत्ति से बाहर करना चाहते है तो इसके लिए उनको उन्हीं आधार या तथ्यों का सहारा लेना होगा,जो कि कानून के तहत उनको मिले है। धारा 13 के तहत वह प्रक्रिया बताई गई है,जिसका पालन करते हुए किराएदार को बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए नियंत्रक मामले में पेश तथ्यों के आधार पर संतुष्ट हाने के बाद ही किराएदार को संपत्ति छोड़ने का आदेश दे सकता है। एक वैध किराएदार का दिए संरक्षण पर कानून के तहत दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ही काबू पाया जा सकता है या ओवरकम किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा कि किराएदार से भवन खाली करवाकर वापिस लेने के लिए लगाए गए प्रतिबंध, किराएदार के लाभ के लिए लगाए गए है,जो वैधानिक नीति संबंधी मामले है। हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पीठ ने कहा कि– इस मामले में किराएदारी बनाने के काम से एक व्यक्ति को जिंदगीभर के हित का लाभ मिल गया था। यह एक ऐसी घटना थी,जिसके तहत किसी महिला ने अपने लिए इस संपत्ति से आय का जरिया बनाया था। ऐसे में किराया नियंत्रण कानून के तहत किराएदार को संपत्ति से बाहर निकालने से मिला संरक्षण कुछ विशेष परिस्थितियों या आधार को छोड़कर वैधानिक निर्देश का परिणाम बन चुका है। इसीलिए किराएदार को उस संपत्ति में रहने का हक उसकी मालकिन के मरने के बाद भी मिल गया है। इस मामले में उस वैधानिक आदेश का भी हस्तक्षेप है,जो किराएदार के लाभ के लिए दिया गया था।

सजा के बाद हुई गंभीर मानसिक बीमारी है गंभीरता कम करने वाला कारक : सुप्रीम कोर्ट

अश्विमी मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर सजा होने के बाद किसी को कोई मानसिक बीमारी हो जाती है तो ऐसे में मौत की सजा पाए इस व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते समय इसे एक गंभीरता कम करने वाले कारक के तौर पर देखा जाएगा। जस्टिस एन.वी रमाना,जस्टिस मोहन एम शांतनागौड़र व जस्टिस इंद्रा बनर्जी की खंडपीठ ने दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने व उनकी हत्या करने के मामले में फांसी की सजा पाए आरोपी की सजा बदल दी है। आरोपी को वर्ष 2001 में निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने भी ठीक ठहराया था। नवम्बर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी की अपील को खारिज कर दिया था।

बाद में उसकी पुनःविचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। बाद में मोहम्मद आरिफ उर्फ अश्फाक बनाम रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए आरोपी ने फिर से अपनी पुनःविचार याचिकाओं पर सुनवाई करने की मांग की। पुनःविचार याचिका में दो मुद्दे उठाए गए थे। पहला यह कि निचली अदालत ने सजा देते समय उसे अलग से सुनवाई का मौका नहीं दिया। जबकि सीआरपीसी की धारा 235(2) के तहत उसे सजा देने से पहले उसे सुनने या उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था।

आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो उसे फांसी देने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इसलिए इस तरह की मानसिक बीमारी उसके अपराध की गंभीरता को कम करने वाला एक कारक है,इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां तक पहले मुद्दे की बात है तो सीआरपीसी की धारा 235(2) के उद्देश्य व तात्पर्य की बात है तो वह पूरा किया गया है और आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका दिया गया था। चाहे वह मौखिक दलीलों की बात हो या अन्य लिखित तथ्य पेश करने की।

वहीं दोषी करार देने व उसकी दिन सजा देने की सुनवाई करने पर भी कोई रोक नहीं है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखने के बाद हो सकता है कि सजा पर सुनवाई करने के लिए अलग तारीख दी जाए। परंतु अगर दोनों पक्ष सहमत हो तो इस बात की भी पूरी अनुमति है कि सजा पर बहस उसी दिन की जाए,जिस दिन आरोपी को दोषी करार दिया गया था। बेंच ने इस सवाल पर भी विस्तार से

विचार किया कि क्या सजा होने के बाद किसी आरोपी के मानसिक तौर पर बीमार होने को मौत की सजा से राहत देने के मामले में गंभीरता कम करने वाले कारक के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि– भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम के समक्ष यह जिम्मेदारी ली है कि वह किसी मान. सिक रूप से बीमार मरीज को किसी कठोर व अनोखी सजा नहीं देगा।

इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस कोर्ट के लिए जरूरी हो गया है कि एक ऐसा टेस्ट उपलब्ध कराए,जिसके मानसिक रूप से बीमार सिर्फ उन्हीं आरोपियों के मामले में फांसी की सजा पर रोक लगाई जा सके,जिनमें ऐसा किया जाना बहुत जरूरी है। इस कोर्ट को इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए भी है ताकि कोई भी आरोपी इस बीमारी का बहाना करके अपनी सजा से बच न पाए या इस दलील को दुरूपयोग न कर पाए।

खंडपीठ ने निम्न निर्देश जारी किए है– सजा होने के बाद गंभीर रूप से मानसिक तौर पर बीमार होना एक गंभीरता को कम करने वाला कारक माना जाएगा,जिस पर अपीलेट कोर्ट सिर्फ उचित मामलों में ही आरोपी को फांसी की सजा देते समय विचार करेगी। इस डिसेब्लिटी का निर्धारण प्रशिक्षित प्रोफेशनल की टीम ही करेगी,जिसमें अनुभवी मेडिकल प्रैक्टिशनर व क्रिमीनोलोजिस्ट आदि को शामिल किया जाए।

इतना ही नहीं इस टीम में मामले के आरोपी की मानसिक बीमारी के विशेषज्ञ को भी विशेष तौर पर शामिल किया जाए। इस बात की जिम्मेदारी आरोपी की होगी कि वह यह साबित कर पाए कि गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। आरोपी को इसके लिए सक्रिय या अवशिष्ट लक्षण दिखाने होगे,जिनसे पता चल सके कि उसको हुई गंभीर मानसिक बीमा तेजी से सामने आ रही है।

हालांकि राज्य इन दावों का जवाब देने के लिए सबूत पेश कर सकता है। कोर्ट उचित मामलों में एक पैनल का गठन कर सकती है ताकि एक्टपर्ट रिपोर्ट दायर की जा सके। गंभीरता के टेस्ट में यह देखा जाना जरूरी है कि आरोपी को गंभीर मानसिक बीमारी हुई हो,जिसको देखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आरोपी को बीमारी ऐसी गंभीर होनी चाहिए कि आरोपी उसको दी जाने वाली सजा की प्रकृति और गंभीरता को समझ पाने की स्थिति में ही न हो। इस मामले में खंडपीठ ने कहा कि मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी मानसिक चिड़चिड़ापन के कुछ रूप से वर्ष 1994 से पीड़ित है। इसलिए आरोपी की सजा को फांसी से उम्रकैद में तब्दील करते हुए कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह इस आरोपी के केस पर मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 के तहत भी विचार करे।

महिलाएं किचन ही नहीं कैबिनेट भी संभाल सकती हैं : स्वाति सिंह

किचन से कैबिनेट तक का सफ़र तय करने वाली बीजेपी की फ़ायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह ने कहा कि एक महिला में ही ये क्षमता होती है कि वो घर के साथ–साथ बाहर का काम भी उतने ही बेहतर तरीक़े से संभाल सकें।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर अपना रोष भी ज़ाहिर किया कि उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति दयाशंकर सिंह के बारे में कुछ बोलें लेकिन शायद ही दयाशंकर सिंह से उनके (स्वाति सिंह) बारे में कुछ पूछा जाता हो।

आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह भी बीजेपी नेता हैं। साल 2016 में दयाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी की थी जिसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने 'दयाशंकर सिंह की बहन को पेश करो', 'दयाशंकर सिंह की बेटी को पेश करो' जैसे नारे लगाए थे।

जिसके बाद स्वाति सिंह ने मायावती से सवाल किया था कि उनके पति ने गलती की है तो कानून उन्हें सजा देगा, लेकिन उनके परिवार और उनकी बेटियों को लेकर जो भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका जवाब कौन देगा?

उनका यही बयान उनकी ज़िंदगी का टर्निंग प्वाइंट बना और बीजेपी ने खुलकर उनका समर्थन किया और उन्हें टिकट दिया।

स्वाति सिंह कहती हैं लोग सारी बातों के लिए सरकार को ज़िम्मेदार बता देते हैं लेकिन क्या ये सही है ? उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं जिनका उल्लेख न तो संविधान में है और न सरकार उनका समर्थन करती है लेकिन फिर भी वो समाज में हैं क्योंकि समाज की सोच नहीं बदल रही। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए ज़रूरी है कि समाज की सोच बदले।

बहराइच से सांसद सावित्री बाई फुले भी बीबीसी के इस ख़ास कार्यक्रम का हिस्सा बनीं। साल 2018 में बीजेपी का दामन छोड़ने वाली सावित्री बाई का कहना था कि उन्हें जिस वक्त ये लगा कि पार्टी संविधान का उल्लंघन कर रही है, ठीक उसी वक़्त उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि उन्हें इसका हिस्सा नहीं रहना है।

वो कहती हैं, "मैंने कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की लेकिन कई बार मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। आप जो चाहेंगी वो मुद्दा उठाएंगी, ऐसा इस पार्टी में नहीं होता।"

कुछ भाजपाई नेताओं पर आरोप लगाते हुए सावित्री बाई ने कहा कि उन्हें अक्सर कहा गया कि वो लोकसभा में वही बोलें जो उन्हें लिखकर दिया जाए।

जब मंच पर ही भिड़ गईं मौजूदा और पूर्व बीजेपी नेता

लेकिन मंच पर ही मौजूद बीजेपी की नेता स्वाति सिंह ने इस बात को सीधे तौर पर ख़ारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर माना कि शुरुआती समय में हर किसी को कुछ परेशानियां होती हैं लेकिन वो हर जगह होती हैं। स्वाति सिंह ने ये दावा किया कि बीजेपी में सलाह सबसे लेने का रिवाज़ है लेकिन फ़ैसला व्यक्ति का ही होता है।

स्वाति सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजनीति हो या कोई और फ़ील्ड किसी महिला को नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस मान. सिकता को बदलने की ज़रूरत है और कोई महिला न तो दलित होती है, न बैकवर्ड होती है और न फॉरवर्ड होती है वो सिर्फ़ एक महिला होती है।

इसके अलावा दोनों महिला नेताओं में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ख़ासी असहमति नज़र आई।

एक ओर जहां सावित्रीबाई फुले का कहना था कि सरकार की वजह शिक्षा में दोयम रवैया अपनाया जा रहा है वहीं स्वाति सिंह का कहना था कि हर बात के लिए बीजेपी की सरकार को दोष देना सही नहीं है।

उन्होंने कहा, "मैं खुद सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूं लेकिन मैंने कभी सवाल नहीं किया। मैं गर्व महसूस करती हूं कि मैं सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूं।"

अपनी सरकार की खूबियां बताते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और अब शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। हालांकि दर्शकों ने जब उनसे ये पूछा कि उनके अपने बच्चे कहां पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया कि वे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं।

तर्क देते हुए उन्होंने कहा "कुछ वक्त पहले तक सरकारी स्कूलों की स्थिति वैसी नहीं थी इसलिए मेरे बच्चे शुरू से प्राइवेट स्कूल गए और अब उन्हें वहां से हटाना ठीक नहीं होगा।"

हालांकि सावित्रीबाई फुले, स्वाति सिंह के बयान से संतुष्ट नज़र नहीं आईं और उन्होंने कहा कि आज भी भारत में पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव जारी है और उन्हें कॉलेजों–दूसरे संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलता।

सावित्रीबाई फुले ने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा को लेकर जो दोयम दर्ज़ा अपनाया जा रहा है उससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

यूं तो सोनी सोरी की कहानी से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं लेकिन बीबीसी के मंच से उन्होंने कई ऐसी बातें भी कीं, जो उनकी मौजूदा पहचान की वजह बनीं।

सोनी आम आदमी पार्टी की तरफ़ से चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन वो कभी राजनीति में आएंगी और सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगी, खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था।

बदल गई ज़िंदगी

एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली सोनी की ज़िंदगी साल 2011 में हुई उस घटना के बाद से हमेशा–हमेशा के लिए बदल गई।

घटना का ज़िक्र करते हुए सोनी कहती हैं "शायद जो मैं आज हूं वो कभी नहीं होती और न ही मैं कभी इस तरह आवाज़ उठा पाती लेकिन मेरे साथ जेल जाने से पहले और उस दौरान जो कुछ हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।" (साभार : बीबीसी)

कहाँ और किन परिस्थितियों में हो सकती है आपराधिक मामलों में अपील

आपराधिक न्याय की प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति के जीवन पर कुछ गंभीर परिणाम होते हैं, मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन के अधिकार पर और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। एक स्वतंत्र ट्रायल प्रक्रिया एवं उचित निर्णय पर पहुंचने के रास्ते मौजूद होते हुए भी, गलती की सम्भावना शेष रह जाती है, यह अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप, न्याय प्राप्त करने एवं निचली अदालता. ें के फैसलों की जांच करने हेतु हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ विशिष्ट प्रावधान मौजूद हैं। यह ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक अदालतों के फैसले या आदेश के खिलाफ अपील के रूप में हैं। सीआरपीसी में धारा 372 से धारा 394 तक अपील पर विस्तृत प्रावधान हैं। हम इस लेख में खासतौर पर आपराधिक मामलों में अपील पर बात करेंगे। अपील क्या है? यह सर्वविदित है कि अपील क़ानून का एक सुधारात्मक उपाय भर है और अदालत के किसी भी निर्णय या आदेश से अपील का कोई अंतर्निहित अधिकार तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि एक अपील का प्रावधान स्पष्ट रूप से कानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। (दुर्गा शंकर मेहता बनाम रघुराज सिंह मामला) यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अपील में कानून के साथ फैक्ट्स पर दुबारा अदालत व्यक्ति के मामले को सुनती है, हालाँकि रिवीजन के मामले में ऐसा नहीं होता है। एक सामान्य अर्थ में, अपील पार्टियों को दिया गया एक कानूनी अधिकार है, हालांकि, रिवीजन पूरी तरह से एक आपराधिक अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि यह कोई अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(केरल राज्य बनाम सेबेस्टियन 1983 Cri LJ 416 Ker.) अपील के प्रकार क्या क्या हैं? दंड प्रक्रिया संहिता में 4 प्रकार (या परिस्थितियों में) की अपील की बात की गयी है। इन्हे हम एक–एक करके आपको संक्षेप में समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आइये जानते हैं कि वो तीन प्रकार की अपील क्या हैं? 1 – दोषसिद्धि से अपील (धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता) 2 – दंडादेश के विरूद्ध अपील (धारा 377 दंड प्रक्रिया संहिता) 3 – दोषमुक्ति की दशा में अपील (धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता) 4 – कुछ मामलों में अपील का विशेष अधिकार (धारा 380 दंड प्रक्रिया संहिता)

1 – दोषसिद्धि से अपील (धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता) इसके अंतर्गत वह मामले आते हैं जहाँ किसी व्यक्ति को विचारण के बाद दोषी करार दिया जाता है। इन मामलों में कई फोरम में सुनवाई के अधिकार दिए गए हैं और ऐसा इसलिए भी है क्यूंकि एक बार व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है तो उसके तमाम अधिकारों का हनन होता है। और चूँकि न्याय का यह मुख्य सिद्धांत है कि किसी भी बेक़सूर को बेवजह सजा नहीं दी जानी चाहिए इसलिए ऐसे व्यक्तियों को उचित रूप से संहिता में अधिकार दिए गए हैं।

दोषी पाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित फोरम में अपील में जाने का मौका मिलता हैः–

। – सुप्रीम कोर्ट में अपील (प) जब किसी मामले पर हाई कोर्ट ने असाधारण आरंभिक दाण्डिक अधिकारिता (traordinary original criminal jurisdiction) के अंतर्गत ट्रायल किया हो,और उसे दोषी करार दिया हो तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है; (देखें धारा 374 (1) दंड प्रक्रिया संहिता)। (पप) जब हाई कोर्ट ने अपील में किसी दोष मुक्त व्यक्ति को दोषी पाया हो और उसे या तो मौत की सजा, या आजीवन कारावास की सजा या 10 वर्ष से ज्यादा के कारावास की सजा सुनाई हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर अपील कर सकता है; (देखें धारा 379 दंड प्रक्रिया संहिता)। (iii) भारत के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय (आपराधिक अथवा सिविल), डिक्री या अंतिम आदेश से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित करता है कि उस मामले में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का प्रश्न मौजूद है; (देखें अनुच्छेद 132 भारत का संविधान)। (पपप) जब हाई कोर्ट ने अपील में किसी दोषमुक्त व्यक्ति को दोषी पाया हो और उसे या तो मौत की सजा, या आजीवन कारावास की सजा या 10 वर्ष से ज्यादा के कारावास की सजा सुनाई हो, या अपने अधीनस्त चल रहे किसी मामले को अपने सामने लाकर उसका ट्रायल किया हो और ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई हो या अनुच्छेद 134 ऐ के अंतर्गत यह सर्टिफाई किया हो की वह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किये जाने योग्य है (देखें अनुच्छेद 134 भारत का संविधान)। ऐसे मामले में भी अपील की जा सकेगी। (पअ) अनुच्छेद 136 के तहत भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, अपने विवेक से, किसी भी कारण या मामले में देश की किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री, डिटरमिनेशन, सेंटेंस या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए स्पेशल लीव दे सकता है। (देखें अनुच्छेद 136 (1) भारत का संविधान) ठ – हाई कोर्ट में अपील कोई भी व्यक्ति या उस ट्रायल में दोषी पाया गया कोई अन्य व्यक्ति, जिसे एक सत्र न्यायाधीश या एक अति. रिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा या किसी अन्य अदालत द्वारा ट्रायल के बाद 7 वर्ष से अधिक के करावस का दोषी ठहराया है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है; (देखें धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता). यहाँ ध्यान देने की जरुरत है कि जब अपील की जाएगी तो निर्णय पर अपील के लंबित रहते रोक लग जाती है (एस. एम. मालिक बनाम राज्य मामला) ϵ – सत्र न्यायलय में अपील धारा 374 (2) के अलावा, कोई भी व्यक्ति जिसे (ए) एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, या दूसरे वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा किये गए ट्रायल में में दोषी ठहराया गया है, या (ख) धारा 325, या के तहत सजा सुनाई गयी है, या (ग) जिसके संबंध में कोई आदेश दिया या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के तहत एक सजा सुनाई गई है, सत्र न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

प्रोबेशन ऑफ आफेंडर एक्ट नहीं वर्जित करता है सीआरपीसी की धारा 360 के प्रावधानों को : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 360 के प्रावधानों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958(प्रोबेशन ऑफ आफेंडर एक्ट) वर्जित या बाहर नहीं करता है। इस मामले में कोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश पर विचार कर रही थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 360 के तहत एक अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह कोई अर्जी नहीं है क्योंकि जिस मामले में यह अर्जी दायर की गई है उस मामले पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १६५८ (प्रोबेशन ऑफ आफेंडर एक्ट) की धारा 3 व 4 लागू होती है। इस मामले में आरा. पी को आईपीसी की धारा 325 रीड विद धारा 34 के तहत दोषी करार दिया गया था। उसे एक साल के कारवास की सजा पर व उस पर एक हजार रुपए जुर्माना किया गया था।

सीआरपीसी की धारा 360 के तहत किसी दोषी करार दिए गए आरोपी को उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर नेकचलनी यानि प्रोबेशन पर छोड़े जाने पर विचार किया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का नहीं है और उसे ऐसे मामले में दोषी करार दिया जाता है,जिसम. उस पर या तो जुर्माना लगाया जाता है या फिर उसे सात साल या उससे कम के कारावास की सजा दी जाती है। दूसरा अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है या कोई महिला है,उनको ऐसे मामले में दोषी करार दिया जाता है,जिसमें फांसी या उम्रकैद की सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को नेकचलनी यानि प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है।

दोनों श्रेणियों के आरोपियों को यह भी शर्त पूरी करनी होती है कि उनको पहले कभी दोषी करार नहीं दिया गया है,उनकी उम्र,उनके चरित्र व पुराने आपराधिक रिकार्ड व जिन परिस्थितियों में अपराध को अंजाम दिया गया था,इन सभी तथ्यों पर अदालत को नेकचलनी का लाभ लेने के लिए संतुष्ट करना पड़ता है। इसी तरह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958(प्रोबेशन ऑफ आफेंडर एक्ट) के प्रावधान कोर्ट के अधिकार के बारे में बताते है कि कोर्ट किन आरोपियों के उनका अच्छा व्यवहार व अन्य तथ्य देखकर नेकचलनी पर रिहा कर सकती है या इस प्रावधान का लाभ दे सकती है। दोनों प्रावधानों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि– सीआरपीसी की धारा 360 के सब–सेक्शन 10 में साफ तौर पर इच्छा जाहिर करते हुए कहा गया है कि एक्ट 1958 के प्रावधान या बाल अधिनियम 1960 के प्रावधान या कुछ समय के लिए लागू किया गया काननू,जो किसी युवा आरोपी के इलाज के लिए,प्रशिक्षण के लिए या पुर्नवास के लिए लागू किया गया हो,यह सभी कानून कोड़ से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए साफ है कि कोड़ के प्रावधाना को एक्ट 1958 वर्जित या बाहर नहीं करता है। ऐसे में कोर्ट के समक्ष किसी आरोपी पर दोनों,कोड़ की धारा 360 व एक्ट 1958 के प्रावधान लागू होते है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने संजय दत्त बनाम महाराष्ट्रा राज्य के मामले में माना था कि दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के एक साथ होने से (कोड के सेक्शन 360 व प्रोबेशन ऑफ आफेंडर एक्ट के सेक्शन 3 व 4) बहुत बड़ा परिणाम भी हो सकता है। परंतु कोर्ट ने कहा कि –हमने पाया है कि कोर्ट का ध्यान सेक्शन के सब–सेक्शन 10 की तरफ आकर्षित नहीं किया गया।

जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 360 एक्ट 1958 के प्रावधानों या किसी अन्य ही ऐसे कानून को जो किसी युवा अपराधी को परीक्षण देने,उसका इलाज करने या पुर्नवास के लिए लागू किया गया हो,को प्रभावित नहीं करेगा। वहीं एक्ट 1958 के सेक्शन में ऐसा उपनियम दिया गया है,जो किसी भी अन्य कानून के प्रवाधानों के प्रभाव को कम कर देता है या उस पर अधिभावी होता है। दोनों अधिनियमों के प्रावधानों को एक साथ देखने के बाद हमने पाया है कि कोड़ के सेक्शन 360 के प्रावधान अधिनियम 1958 के प्रावधानों में या बाल अधिनियम 1960 या कुछ समय के लिए किसी युवा अपराधी के परीक्षण,इलाज या पुर्नवास के लिए लागू किए गए कानून के प्रावधानों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की तरह है।

अगर मध्यस्थता क्लाउज पर्याप्त रूप से स्टांप नहीं लगे हैं तो अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता अधि. नियम की धारा 11(6) के अधीन किसी अपील पर कोई अंतिम निर्णय देने से पहले उन मामलों में जहाँ जिन दस्तावेज़ों पर आपत्ति की गई है अगर उस पर पर्याप्त स्टांप नहीं लगे हैं तो स्टांप अथॉरिटीज़ के फ़ैसले की प्रतीक्षा करना ज़रूरी है। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरनन्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि SMS Tea Estates (P) Ltd- v- Chandmari Tea Co- (P) Ltd. मामले में जिस क़ानून को निर्धारित किया गया था वह मध्यस्थता और समाधान (संशोधन) अधिनियम, 2015 में धारा 11(6।) को जोड़ने के बाद भी लागू होता है। इत्तीफ़ाकन, अभी एक सप्ताह पहले ही बॉम्बे हाइकोट की पूर्ण पीठ ने इसके विपरीत फ़ैसला दिया था। पीठ ने आज अपने फ़ैसले में इसकी चर्चा की और कहा कि यह निर्णय ग़लत था। पीठ के समक्ष यह मामला गरवारे वाल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से संबंधित था और मामला यह था कि क्या धारा 11(6।) ने SMS Tea Estates (P) Ltd. के इस फ़ैसले के आधार को समाप्त कर दिया है ताकि इस दस्तावेज़ को जज द्वारा नहीं बल्कि मध्यस्थ द्वारा ज़ब्त किया जाए जिसे धारा 11 के तहत नियुक्त किया गया है? धारा 11(6।) में प्रावधान है कि किसी फ़ैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट कोर्ट, उप–धारा 4 या 5 या 6 के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते हुए खुद को सिर्फ़ मध्यस्थता समझौते तक सीमित रखेगा। अदालत ने कहा : "यह याद रखना ज़रूरी है कि भारतीय स्टांप अधिनियम इस समझौते या समर्पण पत्र पर पूरी तरह लागू होता है। इसलिए इस तरह के समझौते में मध्यस्थता के प्रावधानों को अलग नहीं किया जा सकता ताकि इसको स्वतंत्र अस्तित्व दिया जा सके।"

CONSULT and LEARN

(Also online)

Astrology, Palmistry & Vaastu

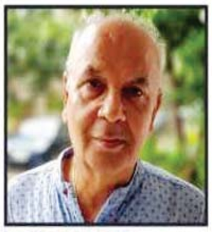

with Senior Jyotish Acharya

S.K. Sharma

27+ Yrs. Exp., Award Winner

CONSULTATIONS : On any issues of your life along with Vedic Astro, Gems, Vaastu and Vedic Mantras Guidelines for Self Chatting the Mantras to get good results against problems, Vaastu visits for Vaastu Corrections to remove Vaastu doshas without any demolitions of structure

TEACHING: Astrology, Palmistry, Numerology, Vaastu and Fengshui in short durations of time from root level to expert level. Please visit following website for more details www.astropalmistvaastuguru.com

Indirapuram : T-12 (Third floor), Module-9, Mangalam Residency, Abhay Khand-3, Indirapuram, Gzb.

Gurgaon : Flat No. 1, Tower 2, Vipulgreen Society, Sohna Road, Sec-48

Mob. No.: 9818952437, 8745824922

E-mail: astrogurusks@gmail.com, Web.: www.astropalmistvaastuguru.com

Please visit "YOU TUBE", type Astrologer S.K. Sharma for More Details

गौ रक्षा हेल्पलाइन परिवार का संकल्प

कामधेनु पंचगव्य क्रान्ति के माध्यम से घर-घर गऊ उत्पाद पहुंचाना है

Alok Solanki
Chairman
+91-9990927493

अगर सरकार को बीफ एक्सपोर्ट से इन्कम नजर आती है तो गऊ उत्पाद से हजारों करोड़ का लाभ सरकार को नजर क्यों नहीं आता, क्या आप इस संकल्प में हमारे साथ हैं?

KAMDHENU

International Panchgavya Research & Marketing Pvt. Ltd.

A Unit of gramin Vikas And Gau Sewa Sansthan

✦ Cosmetics ✦ Dairy ✦ Medicines

✤ Desi Ghee ✤ Dhoop Batti ✤ Gau Nyle ✤ Shampoo ✤ Soaps ✤ Toothpaste ✤ Gobar Ke Ganpati ✤ Gobar Ki Tiles ✤ Gobar Ke Kande ✤ Organic-Haldi ✤ besan ✤ Honey

गौ रक्षा हेल्पलाइन से जुड़ने हेतु सम्पर्क करें : 8800130057
www.cowhelpline.com

011-65656528, 8800130057

गौ-रक्षा हेल्पलाइन : 011-6565-6464, पंचगव्य हेल्प लाइन नं. : 9999092304

Education Solution

EDUCATION SOLUTION

One Door Solution For All Educational Needs

Save Your Years and Regularise Your Studies with "NIOS" Board
Home Tuition Assignments Are Also Provided at Affordable Cost

Complete Your Syllabus in Summer Vacation

Now in Indirapuram Niti Khand -1

Abacus Classes Also Available

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth	XIth - XIIth	B.Com, B.A-B.Sc
MATHS SCIENCE, ENGLISH HINDI, S.ST.	MATHS, PHYSICS, CHEMISTRY BIOLOGY ENGLISH, ACCOUNTS ECONOMICS B.st, C++, I.P.	ACCOUNT, ECONOMICS MATHS INCOME TAX CORP. ACCOUNTING BUSINESS LAW COST ACCOUNTING
IXth - Xth MATHS SCIENCE, ENGLISH HINDI, S.ST.		

PROFESSIONAL COACHING

CA-CPT,CS,ICWA	BBA, MBA	B.Tech, MBBS
CA-CPT, IPCC CS (Foundation) CS (Executive) CMA (Foundation) CMA (Inter Mediate)	INCOME TAX, COSTING FINANCIAL MANAGEMENT CORPORATE ACCOUNTING FINANCIAL ACCOUNTING BUSINESS LAW	IIT-JEE, BITSAT CPMT, UPTECH **Competitive Exam** POLYTECHNIC BANK ENTRANCE, UPSE SSC, SPOKEN ENGLISH, ETC.

HEAD OFFICE : PLOT NO 420 SECTOR 5 VAISHALI GHAZIABAD, BEHIND SHOPRIX MALL

Office : 0120-4130999 | M. : 9911932244, 9999232199, 9999207099, 9999907099

Email: educationsolutionvep@gmail.com | www.educationsolution.co

लोक जागृति पत्रिका
अन्ना की आंधी

लोक जागृति पत्रिका
दिवाली में सराबोर हुआ देश
रफ्तार का नशा

लोक जागृति
सम-विषम के खेल में फंसी दिल्ली

लोक जागृति पत्रिका

लोक जागृति
टीम अण्णा के नाम टीम भ्रष्टाचार के कुछ खतों का संकलन विशेषांक

लोक जागृति
प्रणव दा की प्रतीक्षा

निर्मल खत्री: यू पी कांग्रेस के नये खेवनहार
कबड्डी कबड्डी उर्फ संसद संसद

लोक जागृति

लोक जागृति

लोक जागृति
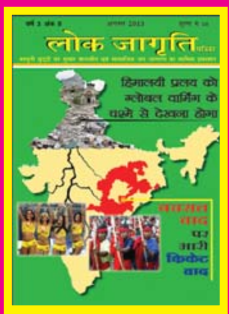
लोक जागृति
हिमालयी प्रलय को ग्लोबल वार्मिंग के चश्मे से देखना होगा

लोक जागृति
मोदी राज

लोक जागृति
आओ बनाएं आदर्श भारत

लोक जागृति
ब्लैक मनी या फिर ब्लैकमेलिंग
हरियाणा और महाराष्ट्र

लोक जागृति
इस दिवाली कितनी होगी
सुख शांति समृद्धि

लोक जागृति
हमारे बाल व नाखून कितने स्वस्थ
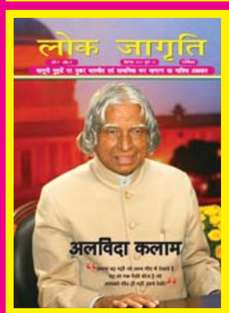
लोक जागृति
अलविदा कलाम

लोक जागृति
अदम्य ताकत

लोक जागृति
अच्छे दिन आए क्या ?
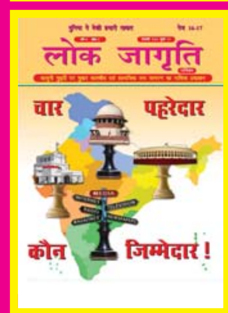
लोक जागृति
चार पहरेदार
कौन जिम्मेदार !
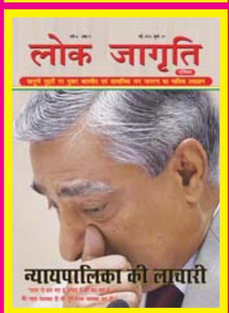
लोक जागृति
न्यायपालिका की लाचारी

लोक जागृति
कंपनी मंत्रालय का मायाजाल

लोक जागृति
1975 की नसबंदी बनाम 2016 की नोटबंदी
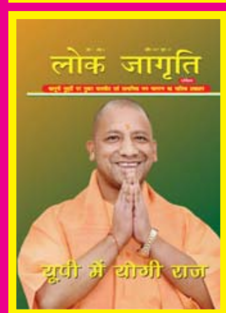
लोक जागृति
यूपी में योगी राज
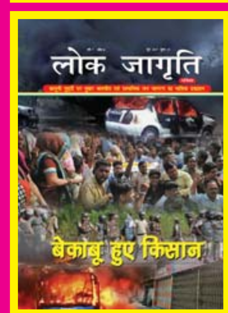
लोक जागृति
बेकाबू हुए किसान

लोक जागृति
अयोध्या की दिवाली
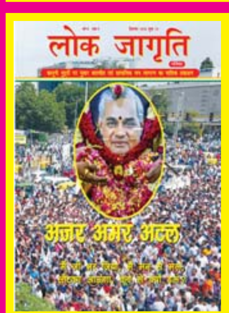
लोक जागृति
अजर अमर अटल

लोक जागृति
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATIO
सीबीआई की अग्नि परीक्षा

लोक जागृति
राहुल का दिखा दम

लोक जागृति
तुरुप का पत्ता

RNI NO.UPHIN/2011/39809